



2026:AHC:129334

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20110 / 2026

सादिक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता	:	अविनाश पांडे
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र वाद अपराध संख्या 314 वर्ष 2026, धारा 8/21/29, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना-कैराना, जनपद-शामली के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरण में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक के कब्जे से कथित रूप से 200 ग्राम स्मैक की बरामदगी दर्शाई गई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपराध की गंभीरता को अनावश्यक रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा बरामदगी की मात्रा को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित किया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया कि स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः एवं वास्तविक भावना के अनुरूप पालन नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप कथित बरामदगी की विधिक वैधता संदेहास्पद हो गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के मिथ्या अभियोजन की ओर संकेत करने वाली परिस्थितियों को भी न्यायालय के

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



समक्ष प्रस्तुत किया तथा अभियोजन के पीछे विद्यमान दुर्भावना का भी उल्लेख किया। आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक दिनांक 03.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। आवेदक के विरुद्ध तीन आपराधिक प्रकरणों का इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना-पत्र के अनुच्छेद संख्या-16 में दिया गया है।

4. इसके विपरीत, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने के निवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभिलेख पर उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्य आवेदक की अपराध में संलिप्तता को प्रथमदृष्टया सिद्ध करते हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, अभियोग की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, आवेदक द्वारा कारागार में व्यतीत अवधि तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना विचार करने के उपरान्त, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार स्थापित कर दिया है।

6. परिणामस्वरूप, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

7. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में सम्मिलित अभियुक्त-आवेदक **सादिक** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा—

(i) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क अथवा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269 के अधीन विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है और उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क अथवा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209 के अधीन विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर (1) वाद के प्रारंभ, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के अभाव में है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के कथनों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

24 जून, 2026

संजीत

(न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।